रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 23, 2018/चैत्र 02, 1940
No. 174] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 23, 2018/CHAITRA 02, 1940

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 23 मार्च, 2018

सा.का.नि. 274(अ).— स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 226 (अ), दिनांक 9 मार्च, 2017 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या छोड़ी गयी वस्तुओं के सिवाए, केन्द्र सरकार एतद्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(i) माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर, अध्यक्ष
(ii) माननीय न्यायमूर्ति श्री वाल्मिकी जे. मेहता, सदस्य
(iii) माननीय न्यायमूर्ति श्री आई. एस. मेहता, सदस्य

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2018 से प्रभावी होगी।

[फा0 सं0 यू.11016/01/2011-पीआईटीएनडीपीएस]
नलिनी रंजन सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : दिनांक 9 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 226 (अ), भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड-(i) में दिनांक 9 मार्च, 2017 को प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2018

G.S.R. 274 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988) and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. GSR. 226(E), dated 09th March, 2017 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year consisting of:-

(i) Hon'bleMr.Justice RajivShakdher, Chairperson

(ii) Hon'bleMr.Justice Valmiki J. Mehta, Member

(iii) Hon'bleMr. Justice I.S. Mehta, Member

2. This Notification shall come into force with effect from 23rd March, 2018.

[F.No.U.11016/01/2011-PITNDPS]

NALINIRANJAN SINGH, Under Secy.

IndiaCode

FOOTNOTE: The Notification G.S.R.226(E) dated 09th March, 2017 was published in the Gazette of India(Extraordinary) Part II,Section 3, Sub-Section-(i) on 09th March, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.03.30 15:58:21 +05'30'